

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीपीसी अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-28/2019

जीसीएमएस नं. 2019/00283

हेमराज गुर्जर (अप्रार्थीगण)

दाखर दिनांक:- 17.09.2019

उनवान

श्रीलाल पुत्र महानन्द जाति प्रजापत निवासी ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन
हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

—प्रार्थी

बनाम

पुरुषोत्तम पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सूरौठ पुलिस थाना
सूरौठ जिला करौली

—अप्रार्थीगण-03

प्रार्थना पत्र बाबत ब्रीच

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण सीपीसी की धारा 39(2अ) के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 17.09.2019 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है एवं प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 95/2019 सुरेश बनाम सरकार जरिये जिला कलक्टर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)